न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तगण

1. भरत कुमार पालीवाल पुत्र श्री तुलसीराम पालीराम, विक्रेता, मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड़, करोटी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, स्थाई पताः दियाण, उदयपुर
2. दरगाराम माली पुत्र नाना जी, प्रोपराईटर, मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड़, करोटी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, स्थाई पताः बस स्टेण्ड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 02/2026

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 07 अप्रेल, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 19–9–2025 को मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड़, करोटी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल पुत्र श्री तुलसीराम पालीवाल, निवासी– दियाण, अदयपुर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2814, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1657/Act/2025/1657 दिनांक 16–10–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति(Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 25–3–2025 को प्रतिवादी संख्या 1 (एक) भरत कुमार पालीवाल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 (दो) दरगाराम माली पुत्र नाना जी माली को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुए। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07–4–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 19–9–2025 को 12–15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड़, करोटी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी भरत कुमार पालीवाल पुत्र तुलसीराम पालीवाल, निवासी– दियाण, उदयपुर उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड़, करोटी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल के काउन्टर में एक एल्युमिनियम की ट्रे में

.....पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

लगभग 3 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) आम जन को विक्रय हेतु रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड, करोटी के काउन्टर में एल्युमिनियम की ट्रे में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) लगभग 3 किलोग्राम में से 02 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) को तुलवाकर एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/– (रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल व गवाह को चार साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक की बोतलें/जार दिखाकर खरीदशुदा मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) को हिला मिलाकर एकरुप किया एवं प्रतिवादी विक्रेता तथा गवाह के समक्ष खरीदशुदा मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) को चारों प्लास्टिक की बोतलों/जारों में बराबर बराबर मात्रा में डाला एवं प्रत्येक नमूना बोतलों/जारों में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर चारों नमूना बोतलों/जारों को अलग अलग ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल व उक्त गवाह के समक्ष लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2814, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) के चारों नमूना प्लास्टिक बोतलों/जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) के चारों नमूना बोतलों/जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफों में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 23–9–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं

.....पेज तीन पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 19—9—2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड, करोटी, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल से खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2814 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1657/Act/2025/1657 दिनांक 16—10—2025 में खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड, करोटी का प्रोपराईटर दरगाराम माली पुत्र नाना जी माली (प्रतिवादी संख्या 2) है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी दरगाराम माली पुत्र नाना जी माली (प्रतिवादी संख्या 2) की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड, करोटी, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता भरत कुमार पालीवाल पुत्र तुलसीराम पालीवाल, निवासी— दियाण, उदयपुर ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) (नमूना संख्या S-2814) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति(Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा पेडा मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) (नमूना संख्या S-2814) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दरगाराम माली पुत्र नाना जी माली, प्रोपराईटर, मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड, करोटी, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही, निवासी— बस स्टेण्ड, अनादरा, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही पर राशि रुपये 25,000/— (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी प्रतिवादी दरगाराम माली पुत्र नाना जी माली, प्रोपराईटर, मैसर्स नीलकमल टी स्टॉल, बस स्टेण्ड, करोटी, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 07 अप्रेल, 2026 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)